भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **1940**

दिनांक 13 मार्च, 2018 / 22 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

भारत में ड्रोनों के निजी एवं व्यावसायिक उपयोग को विनियमित करने के लिए नीति

1940. श्री संजय सिंह:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में ड्रोनों के निजी एवं व्यावसायिक उपयोग को विनियमित करने के लिए नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में बनाई गई रूपरेखा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कोई नीति बनाते समय जिन समस्त हितार्थियों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाएगा, उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) और (ख) : 01 नवंबर, 2017 को, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की वेबसाइट (www.dgca.nic.in) पर ड्रोन के सिविलियन उपयोग पर मसौदा नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) अपलोड किया गया था।

(c) ड्रोन पर नागर विमानन अपेक्षा का मसौदा तैयार करते समय विभिन्न सरकारी संगठनों, जिनमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारतीय तटरक्षक, दूरसंचार विभाग, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, आसूचना ब्यूरो तथा उद्योग के अन्य हितधारक शामिल हैं, के विचार और टिप्पणियां ली गई थीं। इसके बाद सार्वजनिक टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए मसौदा नागर विमानन अपेक्षा को डीजीसीए की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। बहुत अधिक संख्या में टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं तथा मसौदा नागर विमानन अपेक्षा को अंतिम रूप देने के लिए इनकी समीक्षा की जा रही है।

*****